

मध्यप्रदेश शासन  
जल संसाधन विभाग  
मंत्रालय  
:: आदेश ::

भोपाल, २५ अप्रैल, 2017

क्रमांक एफ 22-7/2017/पी-1/इकतीस :: वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11-17/2014/नियम/चार दि. 30.09.2014 एवं दिनांक 24 जनवरी 2008 व सहपठित परिपत्र दिनांक 01.04.2008 में निहित निर्देशों के अनुक्रम में विभागीय समिति की अनुशंसा पर राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित प्रथम श्रेणी अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम 4 में दर्शाई गई तिथि को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तृतीय समयमान वेतनमान रु. 37400-67000 + ग्रेड पे 8700/- की स्वीकृति प्रदान करता है :-

स.क.	नाम	संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक	30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तृतीय उच्चतर समयमान वेतनमान 37400-67000+ग्रेड-पे 8700/- स्वीकृति का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री दीपक सातपुते	08.07.85	08.07.15
2	श्री शरदचन्द्र श्रीवास्तव	02.09.85	02.09.15
3	श्री शशिमोहन चतुर्वेदी	04.06.86	04.06.16
4	श्री सर्वेश्वर कुमार श्रीवास्तव	05.06.85	08.10.15
5	श्री अरविन्द त्रिपाठी	05.06.85	05.06.15
6	श्री शरदचन्द्र त्रिपाठी	11.07.85	11.07.15
7	श्री आर.एम.द्विवेदी	05.06.85	05.06.15
8	श्री महेन्द्र कुमार जैन	05.06.85	05.06.15
9	श्री एस.एन.त्रिपाठी (वि./याँ.)	18.08.85	18.08.15
10	श्री आई.ए.गौरी (वि./याँ.)	18.08.85	01.07.16

2. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग वेतन निर्धारण के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त अधिकारियों के नाम के सम्मुख कालम 4 में दर्शाई तिथि को उनका सहायक यंत्री के पद पर उपस्थिति दिनांक से सेवाकाल के 30 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। यदि उपरोक्त तिथि में कोई भिन्नता पाई जाती है तो वास्तविक पात्रता तिथि के संबंध में स्वीकृति प्राप्त की जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.एस.जादीन)  
उप सचिव

म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग

निरन्तर.....2/


पृ०क. एफ 22-7/2017/पी-1/इकतीस (०1)

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल, 2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. महालेखाकार, म.प्र., लेखा एवं हकदारी, भोपाल / ग्वालियर।
2. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मान.मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, भोपाल,
3. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्रीजी, जल संसाधन विभाग, भोपाल,
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल।
5. प्रमुख अभियंता, म.प्र., जल संसाधन, भोपाल की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संचालक (प्रशासन), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
7. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री .....
8. संबंधित कोषालय अधिकारी।
9. संबंधित अधिकारी.....
10. ✓ वेब मैनेजर, कार्यालय परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजनाएं, भोपाल की ओर विभाग की वेबसाइट पर प्रविष्टि हेतु।
11. स्टाक पंजी

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।

  
24-4-17  
उप सचिव

म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग